फा.सं. 4-181/2017-18/रा.म.आ.
राष्ट्रीय महिला आयोग

भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र
नई दिल्ली- 110025

तारीख:29 सितंबर, 2017

विषय: आयोग की 177वीं बैठक के कार्यवृत्त- के संबंध में

माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के ए.बी.-3, पंडारा रोड, नई दिल्ली- 110003 में अवस्थित शिविर कार्यालय में तारीख 20 सितंबर, 2017 को 3:30 बजे अपराह्न में आयोजित की गई आयोग की 177वीं बैठक का कार्यवृत्त, जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

2. यह अनुरोध है कि यदि उपर्युक्त बैठक और कार्यसूची मदों के संबंध में कोई विनिश्चय किया गया है और उसकी बाबत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट है, यदि कोई हो तो उसे आयोग की आगामी बैठक के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

(आर.सी. आहूजा)
अवर सचिव

सेवा में:

1. अध्यक्ष के निजी सचिव
2. सदस्य(रेखा शर्मा), सदस्य(सुषमा साहू), सदस्य (आलोक रावत) के निजी सचिव
3. सदस्य सचिव के निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव के निजी सचिव
5. अवर सचिव (आर.सी.)/वेतन और लेखा अधिकारी

प्रति: ज्येष्ठ प्रोग्रामर राष्ट्रीय महिला आयोग: लोकल सर्वर में इसे अपलॉड करने के लिए

राष्ट्रीय महिला आयोग

माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के ए.बी.-3 पंडारा रोड, नई दिल्ली- 110003 में अवस्थित शिविर कार्यालय में तारीख 20 सितंबर, 2017 को 3:30 बजे अपराह्न में आयोजित की गई आयोग की 177वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1. सुश्री ललिता कुमारमंगलम	अध्यक्ष
2. सुश्री रेखा शर्मा	सदस्य
3. सुश्री सुषमा साहू	सदस्य
4. श्री आलोक रावत	सदस्य
5. डा. सतबीर बेदी	सदस्य सचिव

बैठक में निम्नलिखित भी उपस्थित थे:-

1. श्री कुन्दल लाल शर्मा	संयुक्त सचिव
2. श्री आर.सी. आहूजा	अवर सचिव
3. श्री राजेश कुमार आहूजा	वेतन और लेखा अधिकारी

आरंभ में सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने आयोग की बैठक में उपस्थित अध्यक्ष और सभी सदस्यों तथा बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों का स्वागत किया ।

इसके पश्चात् निम्नलिखित कार्यसूची मद पर चर्चा और विचार-विमर्श किया गया:-

कार्यसूची मद सं. 1:

तारीख 31 जुलाई, 2017 को आयोजित आयोग की 176वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

तारीख 31 जुलाई, 2017 को आयोजित आयोग की 176वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 2:

'महिलाओं का वित्तीय समावेश – पूर्वोत्तर और दक्षिणी क्षेत्र में महिलाओं की बैंककारी आवश्यकताएं, प्रवृत्ति और कार्य प्रणाली पर एक अध्ययन' पर अनुसंधान अध्ययन ।

आयोग ने कार्यसूची मद पैरा 13 में के प्रस्तावों का अनुमोदन किया और यह विनिश्चय किया की इस विषय में शीध्रतापूर्वक कार्रवाई की जानी चाहिए।

(कार्रवाई: पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं.3:

'जी.डी.पी. में महिलाओं के अंशदान के आर्थिक मूल्य का प्राक्कलन करने की संभावना का पता लगाया जाना ' पर अध्ययन ।

आयोग ने कार्यसूची मद के पैरा 12 में के प्रस्तावों का अनुमोदन किया और यह विनिश्चय किया की इस विषय में शीध्रतापूर्वक कार्रवाई की जानी चाहिए।

(कार्रवाई: पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं.4:

'कार्यस्थल पर लिंग (जेंडर) साम्य निरूपण: भारत सरकार के कुछ विभागों का एक विशेष अध्ययन' पर अध्ययन।

आयोग ने कार्यसूची के मद पैरा 13 में के प्रस्तावों का अनुमोदन किया और यह विनिश्चय किया की इस विषय में शीध्रतापूर्वक कार्रवाई की जानी चाहिए।

(कार्रवाई: पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं.5:

रात के समय हत्या और अभिकथित सामूहिक बलात्संग की बाबत समाचार मद जिसे उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर से राष्ट्रीय राजमार्ग से रिपोर्ट दी गई ।

आयोग ने इस विषय पर विचार किया है और इस विवाद्यक का शीध्रतापूर्वक निराकरण किया जाना चाहिए ।

कार्यसूची मद सं.6:

वर्ष 2009-10 के लिए डीजीएसीई की निरीक्षण लेखा रिपोर्ट के लेखा पैरा सं. 11 में इंगित किए गए वसूल न होने वाले अग्रिम धन के व्यय/बट्टे खाते में डालने का कार्योत्तर अनुमोदन।

आयोग ने वर्ष 2008-09 और 2009-10 से संबंधित कार्यसूची टिप्पण में उल्लिखित सभी मामलों में उपगत व्यय के तथ्य पर विचार किया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये व्यय आयोग के क्रियाकलापों के लिए उपगत किए गए थे और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रम पर वसूली संभव नहीं है, इसलिए आयोग ने यह विनिश्चय किया कि सभी मामलों में कार्योत्तर अनुमोदन किया जाए। आयोग ने यह भी विनिश्चय किया कि इस बाबत उपयुक्त प्रक्रिया बनाई जाए जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके इस प्रकृति के मामलों की पुनरावृत्ति फिर से न हो।

(कार्रवाई: वेतन और लेखा अधिकारी)

कार्यसूची मद सं.7:

वीना भारद्वाज और अन्य (राष्ट्रीय महिला आयोग के भूतपूर्व ऐसे दैनिक कर्मचारी जिन्हें सेवा से कार्यमुक्त कर दिया गया है) द्वारा तारीख 25 अगस्त, 2017 को फाइल की गई रिट याचिका (सि.) सं. 6659/2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश आयोग की जानकारी के लिए।

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में बताई गई स्थिति पर विचार किया। आयोग ने यह भी बताया कि व्यष्टियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में लैटर्स पेटेंट अपीलें फाइल की हैं।

(कार्रवाई: प्रशासन और विधिक प्रकोष्ठ)

कार्यमद सं.8:

दैनिक मजदूर चालकों को कार्यमुक्त करने का प्रस्ताव।

आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए विनिश्चय पर विचार किया और इस विषय के संबंध में निम्नलिखित विनिश्चय किया:

i) आयोग में इस समय कार्यरत चालकों को कार्यमुक्त किया जाए।

ii) अनुमोदित बाहरीस्त्रोत अभिकरण से तीन चालक लिए जा सकते हैं और इस समय जो व्यक्ति चालकों के रूप में नियुक्त हैं उनके संबंध में बाहरीस्त्रोत अभिकरण द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों के साथ विचार किया जा सकता है।

iii) बाहरीस्त्रोत अभिकरण द्वारा सिफारिश किए गए चालकों जिनमें विद्यमान चालक भी शामिल हैं इन सबको यान चालन/कुशल परीक्षा के लिए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के पास यान चालन परीक्षण के लिए भेजा जाए ।

iv) जब तक बाहरीस्त्रोत से की जाने वाली व्यवस्था प्रवृत्तित होती है तब तक ऐसे व्यक्ति जो चालक के रूप में नियुक्त हैं वे विद्यमान निबंधनों और शर्तों पर कार्य करते रहेंगे।

v) ऐसे चालक जो यान चालन की ड्यूटी नहीं कर रहे हैं और चपरासियों के रूप में कार्य कर रहे हैं उन्हें तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त किया जा सकेगा।

(कार्रवाई: प्रशासन)

कार्यमद सं.9:

'कार्यरत महिलाओं के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय लोक परिवहन सुविधा का महत्व' पर अध्ययन ।

आयोग ने कार्यसूची मद के पैराग्राफ 13 में के प्रस्तावों का अनुमोदन किया और यह विनिश्चय किया की इस विषय में शीध्रतापूर्वक कार्रवाई की जानी चाहिए।

(कार्रवाई: पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ)

कार्यमद सं.10:

'घरेलू हिंसा पर भूमि अधिकारों, पहल और अवसरों के असर पर अनुसंधान अध्ययन' पर अध्ययन ।

आयोग ने कार्यसूची मद के पैराग्राफ 12 में के प्रस्तावों का अनुमोदन किया और यह विनिश्चय किया की इस विषय में शीध्रतापूर्वक कार्रवाई की जानी चाहिए।

(कार्रवाई: पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ)

अतिरिक्त कार्यसूची मद सं.1

वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2014 के दौरान मंजूर किए गए ऐसे मामलों को बंद किया जाना जहां अनुस्मारकों के बावजूद भी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण के पैरा 3 और 4 में अंतर्विष्ट प्रस्तावों का इस उपांतरण के साथ अनुमोदन किया कि वर्ष 2014-15 के आगे के प्रस्तावों की बाबत संगठनों/संस्थाओं को कम से कम तीन कारण बताओ सूचनाएं जारी की जाऐंगी और 'बकाया' शब्द के स्थान पर ''भूमि राजस्व का बकाया'' शब्द रखे जाऐंगे।

(कार्रवाई: विधिक प्रकोष्ठ (एल.ए.पी./पीएमएलए) और पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ)

अतिरिक्त कार्यसूची मद सं.2

कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न पर आई.ई.सी. अभियान ।

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में अन्तर्विष्ट प्रस्ताव का अनुमोदन किया और यह इच्छा व्यक्त की कि राष्ट्रीय महिला आयोग के आई.ई.सी. क्रियाकलापों को हित अधिकारियों को प्रभावी रूप से जानकारी प्रचारित करने की दृष्टि से इसे उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाए। आयोग ने यह भी विनिश्चय किया कि भावी बोली लगाने वाले व्यक्तियों से यह वचनबंद्ध देने के लिए कहा जाए की राष्ट्रीय महिला आयोग में कार्यरत किसी भी व्यक्ति के साथ उनका कोई वित्तीय या अन्यथा संबंध नहीं है।

(कार्रवाईः पीआर प्रकोष्ठ/प्रशासन)

अन्य मद सं.1

आयोग को यान प्रदान करने के लिए सेवाओं को प्राप्त/बाहरीस्त्रोत से कराना ।

अध्यक्ष ने यह उल्लेख किया कि उन्हें आयोग को यान प्रदान करने के लिए बाहरीस्त्रोत अभिकरणों को नियुक्त करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। रेखा शर्मा, सदस्य आलोक रावत, सदस्य ने यह प्रस्ताव किया कि निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाए क्योंकि विद्यमान बाहरीस्त्रोत अभिकरण को निविदाएं आमंत्रित करने के बारे में सूचित नहीं किया गया है। अध्यक्ष ने यह प्रश्न किया कि विद्यमान बाहरीस्त्रोत अभिकरण को कार्य करने की अनुज्ञा क्यों नहीं दी जा सकती है। सदस्य सचिव ने यह जानकारी दी कि साधारण वित्तीय नियमों के अनुसार बाहरीस्त्रोत अभिकरण को एक खुली, पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया के माध्यम से दरों का पता लगने के आधार पर नियुक्त किया जाता है और तदनुसार इस प्रक्रिया को आरंभ किया गया है। सदस्य-सचिव ने यह भी जानकारी दी कि यदि कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है तब निविदा प्रक्रिया को खत्म नहीं किया जा सकता है और उन्होंने यह भी बताया कि यह प्रस्ताव अभी परीक्षण के अधीन है तथा इस संबंध में कोई अंतिम विनिश्चय नहीं निकाला गया है क्योंकि निविदा के माध्यम से दरों की युक्तियुक्तता का अभिनिश्चय किया जा रहा है। सदस्य-सचिव ने यह भी जानकारी दी कि निविदाएं आयोग की वेबसाइट पर समुचित सूचना रखने के पश्चात् आमंत्रित की जाती हैं और ऐसे सभी मामलों में आयोग द्वारा इस प्रद्धति का

पालन किया जाता है तथा किसी व्यष्टिक/कम्पनी/विक्रेता को जिसमें विद्यमान विक्रेता भी शामिल हैं अलग से कोई सूचना नहीं दी जाती है। इस संबंध में ब्यौरेवार विचार-परामर्श करने के पश्चात् आयोग ने यह विनिश्चय किया कि इस प्रस्ताव की प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्रस्तावित दरों को सुनिश्चत करने के लिए परीक्षा की जानी चाहिए ।

(कार्रवाई: प्रशासन)

अन्य कार्यसूची मद सं. 2

'प्रशासन' में पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध न होना-

अध्यक्ष ने यह मुद्दा उठाया कि साधारण प्रशासन, स्थापन और पीआर प्रकोष्ठ से संबंधित पूरे कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है और वह इसका कारण जानना चाहती है। यह स्पष्ट किया गया कि आयोग में 05 सहायकों के मंजूर पद है जिनका इन प्रकोष्ठों में कार्यकारी व्यक्ति के रूप में इन प्रकोष्ठों में कार्य करना अपेक्षित है किंतु कई वर्षों से कोई भर्ती नहीं की गई है। परिणामतः यह सब पद रिक्त है। यह इंगित किया गया की अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित एक विज्ञापन पहले ही मुख्य समाचार पत्रों में तारीख 12 सितंबर, 2017 और 13 सितंबर, 2017 को प्रकाशित किया जा चुका है और रोजगार समाचार पत्र में तारीख 16 सितंबर, 2017 को प्रकाशित किया गया है। अध्यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह स्पष्ट किया गया कि इस प्रक्रिया में समय लगेगा और आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अक्तूबर, 2017 तक हैं ।

ऊपर जो उल्लेख किया गया है उस पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने यह विनिश्चय किया कि प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियमित कर्मचारियों की लंबित भर्ती को अंतिम रूप दिए जाने तक साधारण प्रशासन, स्थापन और पीआर प्रकोष्ठों में कार्य करने के लिए यथाशीघ्र संभव कम से कम दो सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि प्रतिनियुक्ति के माध्यम से कर्मचारियों को भर्ती करने की प्रक्रिया शीघ्रतापूर्वक की जानी चाहिए ।

(कार्रवाई: प्रशासन)

अन्य कार्यसूची मद सं. 3

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, सदस्य के लिए छुट्टी भुनाने की हकदारी

अध्यक्ष ने यह जानने की वांछा की कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जब अपना पद त्याग करते है तब उस समय पर उनके खाते में जमा छुट्टियों को वे भुनाने के हकदार है या नहीं। इस विवाद्यक पर विचार-परामर्श के पश्चात् आयोग ने यह विनिश्चय किया की इस विषय में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को एक निर्देश किया जाना चाहिए।

(कार्रवाई: प्रशासन)

अन्य कार्यसूची मद सं. 4:

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मंजूर किए गए अनुसंधान अध्ययनों की गुणवत्ता

आयोग का यह विचार है कि किए जा रहे अध्ययन या अनुसंधान की गुणवत्ता कसौटी पर पूरा नहीं उतरती हैं और आयोग द्वारा जारी की गई विद्यमान संविदाएं और मंजूरियों में ऐसा कोई खंड नहीं है जो यह विनिर्दिष्ट करता हो कि संदाय को निर्मोचित न किया जाए या निर्मोचित की जाने वाली रकम को कम कर दिया जाए। आयोग ने यह इच्छा व्यक्त की कि भविष्य के सभी प्रस्तावों में, यदि गुणवत्ता और अन्य विनिर्दिष्ट पैरामीटर पूरे नहीं होते है तब संदाय को निर्मोचित न करने या मंजूर की गई रकम को कम करने के लिए समुचित शर्तों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(कार्रवाई: सभी संबंधित प्रकोष्ठ)

अन्य कार्यसूची मद सं. 5:

आयोग के मासिक समाचार पत्र 'राष्ट्रीय महिला' को मुद्रित करने से संबंधित विवाद्यक

अध्यक्ष ने आयोग को यह सूचित किया कि आयोग के मासिक समाचार पत्र 'राष्ट्रीय महिला' के विद्यमान संपादक ने त्यागपत्र दे दिया है और वह और आगे कार्य करने की इच्छुक नहीं है।

इसलिए अध्यक्ष ने यह वांछा कि की आयोग के मासिक समाचार पत्र के लगातार प्रकाशन के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

(कार्रवाई: प्रशासन)

अन्य कार्यसूची मद सं. 6:

लंबित बिलों का शीघ्र निपटान

सदस्य-सचिव ने आयोग को बताया की कि आयोग के बहुत बड़ी संख्या में बिल लंबित है और उनसे संबंधित कागजपत्र मिल नहीं रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व कर्मचारियों ने उन्हें बनाए नहीं रखा और अपेक्षित कागजपत्र सौंप दिए। सदस्य सचिव ने यह भी जानकारी दी कि डीएवीपी ने यह उपदर्शित किया है कि डीएवीपी को लगभग 60 लाख रूपये का संदाय का निर्मोचन करने के बावजूद भी करीब 80 लाख रूपये की रकम अभी भी लंबित है। इन बिलों का संबंध पिछले 4-5 वर्ष से है, उन्होंने यह जानकारी दी कि इसे हल करने का प्रयास किया जा रहा है।

(कार्रवाई: पी.आर./प्रशासन)

अन्य कार्यसूची मद सं. 6:

सेवाएं और माल के उपाप्त में 'कोई विवाद नहीं' की घोषणा

बैठक में यह भी विनिश्चय किया गया कि प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए सभी संविदाएं केवल तब अनुदत्त की जा सकती है जब ऐसे, व्यष्टियों/कंपनियों का राष्ट्रीय महिला आयोग में कार्यरत किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भी संबंध न हो, चाहे वह संबंध वित्तीय, आर्थिक या पारिवारिक हो। सभी विक्रेता समान आधार पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। यदि किसी अनाचार की रिपोर्ट प्राप्त होती है तब कर्मचारी को निलंबित या पदच्युत किया जा सकता है और विक्रेताओं की सेवाओं को भी समाप्त कर दिया जाएगा।

(कार्रवाई: प्रशासन और सभी संबंधित)

अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके बैठक समाप्त की गई।

(सतबीर बेदी)
सदस्य सचिव, रा.म.आ.

(ललिता कुमारमंगलम)
अध्यक्ष, रा.म.आ